अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मसूदा
श्रीमति सुप्रिया व अन्य बनाम श्री गणपतलाल व अन्य
किस्म मुकदमा 88, 188 आर0टी0ए0 नंबर 48 सन्..2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/6/17	प्रार्थी स्वयं उपस्थित। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का अवलोकन किया गया वादीगण ने अपने वाद पत्र में वर्णित भूमियो के विषय में 23.05.2017 को हुये रजिस्टर्ड हक परित्याग विलेख को धोखाधडी पूर्वक कराया जाना तथा वादीगण का भी विवादित भूमियो में हक हिस्सा होने तथा उक्त हक परित्याग को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया वादीगण ने अपने वाद पत्र में रजिस्टर्ड हक परित्याग पत्र दिनांक 23.05.2017 को निरस्त करने का कथन किया है, जबकि उक्त रजिस्टर्ड हक परित्याग में वादीगण ना तो पक्षकार है, और ना ही उनके द्वारा निष्पादित किया गया। एंव वादीगण व श्रीमति उगमादेवी व प्रतिवादी संख्या 1 जमाबंदी में सहहिस्सेदार दर्ज होना पाया गया। जबकि उक्त श्रीमति उगमा पत्नि हेमराज ने अपने हक हिस्से की भूमियो को जरिये रजिस्टर्ड हक परित्याग द्वारा अपना हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में किया जाना पाया गया। श्रीमति उगमादेवी पत्नि हेमराज द्वारा विवादित भूमियो का हक परित्याग किया गया है, उगमा देवी द्वारा उक्त दस्तावेज फर्जी होने के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही किये जाने बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया। ऐसी स्थिति में वादीगण ने इस न्यायालय से जो अनुतोष चाहा गया गया है, वह इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नही पाये जाने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है, पक्षकारान खर्चा अपना अपन वहन करे। अतः आदेश सुनाया गया। (सुरेश चावला) आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी, मसूदा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.03 16:46:18 IST
Reason: SelfAttested